[2020] 11 एस. सी. आर 966

इंद्रजीत सिंह सोधी और अन्य

वी.

अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड

और एक और

(2020 की सिविल अपील संख्या 3837)

3 दिसंबर, 2020

[एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (सिविल) रेगुलेशन्स, 1965-जूनियर इंजीनियर के पद से पदोन्नत अपीलकर्ताओं ने सहायक इंजीनियर के रूप में काम करते हुए समयबद्ध पदोन्नति पैमाने का दावा किया-एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमत-अपील पर रद्द किया गया आदेशः अपीलार्थियों का दावा समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के लिए था जो 9-16 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सहायक अभियंता (सिविल) की श्रेणी में उनके दो कनिष्ठों के बराबर था, जिन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था-अपीलार्थियों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उक्त व्यक्तियों की नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से की गई थी-जबकि अपीलार्थियों को पद पर पदोन्नत किया गया था

कनिष्ठ अभियंता संवर्ग में अपनी वरिष्ठता के अनुसार अपने कार्यकाल में सहायक अभियंता-पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी केवल प्रथम परिपत्र के संदर्भ में समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के हकदार हैं-दूसरा परिपत्र जो सीधे भर्ती किए गए सहायक अभियंताओं को समयबद्ध पदोन्नति पैमाना प्रदान करने के लिए जारी किया गया था, अपीलार्थियों पर लागू नहीं होगा क्योंकि

इसके बजाय वे प्रथम परिपत्र द्वारा कवर किए जाते हैं-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः 1.1 अपीलार्थियों को विनियमन 7 (ए) (ii) के तहत सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था।

सिविल विनियमों का विनियम 10। श्री कृपाल सिंह मंगत और श्री राज कुमार गर्ग, जो सहायक अभियंता (सिविल) की श्रेणी में अपीलार्थियों से कनिष्ठ थे, को उनके पदों के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था।

सिविल विनियमों के विनियम 7 (ए) (आई) के तहत योग्यता। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ने दो सेट सर्कुलर जारी किए थे।

966 इंद्रजीत सिंह सोधी बनाम। अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और एक और

समयबद्ध प्रचार पैमाने डब्ल्यू. ई. एफ. 1.1.1986 के अनुदान के लिए बोर्ड। 23.04.1990 दिनांकित परिपत्र पहला परिपत्र है। सर्कुलर दिनांकित 24.05.1990 दूसरा सर्कुलर है। दूसरा परिपत्र सीधे भर्ती किए गए लोगों को समयबद्ध पदोन्नति देने के लिए जारी किया गया था

सहायक अभियंता। हालांकि, पदोन्नत कर्मचारियों को पहले परिपत्र के अनुसार ही समयबद्ध पदोन्नति पैमाने का हकदार कहा गया था। उक्त दूसरा परिपत्र बोर्ड की सिविल और विद्युत शाखा पर समान रूप से लागू करने के लिए जारी किया गया था। उक्त परिपत्र के नोट में उल्लेख किया गया है कि परिपत्र सिविल और विद्युत विनियमों के तहत जारी किया गया है। अपीलार्थियों का दावा वर्ष के समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के लिए प्रथम परिपत्र पर आधारित था, हालांकि अपीलार्थियों ने रिट याचिका के पैरा 18 में दूसरे परिपत्र का उल्लेख किया है। दूसरा परिपत्र रिट याचिका के साथ संलग्न भी नहीं किया गया था, हालाँकि इसे दो अन्य अपीलार्थियों द्वारा संलग्न किया गया है। दूसरे परिपत्र की वैधता और वैधता को कोई चुनौती नहीं है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने कभी यह दावा नहीं किया है कि एक ही संवर्ग के सदस्य होने के नाते समान वेतन होना चाहिए। का दावा

अपीलार्थी केवल कृपाल सिंह मंगत और राज कुमार गर्ग के बराबर 9-16 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के लिए थे। अपीलार्थियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के 9 या 16 वर्षों के भीतर पदोन्नत किया गया था, इसलिए वे समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के हकदार नहीं हैं। कृपाल सिंह मंगत

और राज कुमार गर्ग को सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था, जबकि अपीलार्थियों को सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया है। अतः दूसरा परिपत्र उन पर लागू नहीं होगा। प्रोमोटरी

कर्मचारी केवल प्रथम परिपत्र के संदर्भ में समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के हकदार हैं। इसलिए, अपीलार्थी कृपाल सिंह मंगत और राज कुमार गर्ग के साथ किसी भी समानता का दावा करने के हकदार नहीं हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर कुछ अन्य कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया गया है। तथापि, उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत इसके विपरीत है -

कृष्ण कुमार विज में इस न्यायालय के बाद के निर्णय। इनमें से कई मामलों में विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी, लेकिन इस तरह की बर्खास्तगी इस न्यायालय के लिए एक बाध्यकारी मिसाल नहीं होगी। विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करने का कोई मतलब नहीं है

कानून के प्रश्न पर परिणाम। [पैरा 5-9,16-18] [971-F;

972 - ए, जी; 976-एच; 977-ए-बी; 979-बी-एच] [2020] 11 एससीआर।

1.2 अपीलार्थी केवल डिप्लोमा धारक थे

नतीजतन, अपीलार्थी कृपाल सिंह मंगत और राज कुमार गर्ग के बराबर 9/16 वर्ष पूरे होने के बाद समयबद्ध पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। अपीलार्थियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उक्त व्यक्तियों की नियुक्ति विनियम 7 (ए) (आई) के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से की गई थी, जैसा कि विनियम 9 के तहत प्रदान किया गया है। इसके विपरीत, अपीलार्थियों को कनिष्ठ अभियंता के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता के अनुसार उनके कार्यकाल में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस प्रकार, दूसरा परिपत्र जो कृपाल सिंह मंगत पर लागू होगा और राज कुमार गर्ग अपीलार्थियों पर आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि वे इसके बजाय प्रथम परिपत्र के दायरे में आते हैं। प्रथम और द्वितीय परिपत्रों के संदर्भ में, बोर्ड के जिन कर्मचारियों ने अपनी प्रारंभिक भर्ती से 9 वर्षों के भीतर पदोन्नति अर्जित नहीं की है, वे समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के हकदार हैं। यदि उन्हें प्रारंभिक 9 वर्षों के भीतर पदोन्नत किया गया है, तो उन्हें 3 वर्ष पूरे होने के बाद अगली पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। [पारस 20-22] [981 F-H; 982-A-D]

1.3 इसलिए, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कानूनी रूप से सही माना कि कृष्ण कुमार विज के फैसले को देखते हुए, अपीलार्थी समयबद्ध होने के हकदार नहीं हैं

अन्य मामलों में समानता के आधार पर पदोन्नति का पैमाना। में। उक्त तथ्यों को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है जो इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी दे सकता है।

[पारस 23,25] [982-डी-एफ]

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम। राजिंदर सिंह पटपटिया और अन्न। (2002) 1 हाल के सेवा निर्णय 32; कृष्ण कुमार विज बनाम। पंजाब राज्य (2003 की रिट याचिका संख्या 19306)-संदर्भित।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम। कृष्ण कुमार विज और अन्न। (2010) 8 एस. सी. सी. 701 [2010] 10 एस. सी. आर. 462; इंद्रजीत सिंह सोधी बनाम।

अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और एक और [हेमंत गुप्ता, जे।]

कुन्हयमद और ओआरएस बनाम। केरल राज्य (2000) 6 एससीसी 359 : [2000] 1 पूरक। एस. सी. आर. 538-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[2010] 10 एससीआर 462

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[2000] 1 पूरक। एससीआर 538

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 3837

2020 से।

उच्च न्यायालय के 09.04.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 के एल. पी. ए. सं. 1085 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

के साथ

सिविल अपील सं। 3835 & 3836 2020 से।

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बी. के. सतीजा, सुश्री नेहा मेहता, हिमांशु

सतीजा, अनिल मित्तल, विभूति सुशांत गुप्ता, राम नरेश यादव, सतिंदर एस. गुलाटी, श्रीमती प्रिया पुरी, सुश्री रश्मि सचदेवा, वैभव श्रीवास्तव, सुश्री यति शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपीलें एक सामान्य आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय दिनांक 09.04.2014 जिसमें पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दायर अंतर-न्यायालय अपीलों को अनुमति दी गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश, जिसमें अपीलकर्ताओं को 9/16 वर्षों के समयबद्ध संशोधित पदोन्नति पैमाने के अनुदान के लिए रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई थी, को रद्द कर दिया गया था।

2. अपीलों के तथ्य समान हैं लेकिन संदर्भ के लिए,

तथ्य इंदरजीत सिंह सोढ़ी और अन्य लोगों द्वारा दायर अपील से लिए गए हैं। इसमें अपीलकर्ताओं ने सहायक अभियंताओं के रूप में काम करते हुए समयबद्ध पदोन्नति पैमाने का दावा किया है। उन्हें जूनियर इंजीनियर के पद से उक्त पद पर पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थियों की सेवाएं पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड सेवा अभियंता (सिविल) विनियम, 1965 द्वारा शासित होती हैं।

3. विनियमन 7 के अनुसार सहायक अभियंता का पद आवश्यक है।

(1) विनियम 9 के संदर्भ में सीधी भर्ती द्वारा; (2) विनियम 10 के संदर्भ में पदोन्नति द्वारा या (3) किसी अधिकारी के स्थानांतरण द्वारा

पहले से ही किसी सरकार या किसी अन्य सरकार की सेवाओं में या 1 1 संक्षेप में, 'सिविल विनियम' [2020] 11 एस. सी. आर.

सरकार का उपक्रम। विनियमन 9 के तहत सीधी भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में बी. ई. है।

मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय। विनियम आगे सेवारत अनुभाग अधिकारियों को अनुमति देते हैं जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में तीन या चार साल का डिप्लोमा है और न्यूनतम 12 साल की योग्यता सेवा है, वे सीधी भर्ती के माध्यम से पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर, विनियम 10 में 10 वर्ष से कम के अनुभव वाले उम्मीदवारों की पदोन्नति का प्रावधान है, बशर्ते कि उनकी संख्या सहायक अभियंताओं के संवर्ग पदों की कुल संख्या के 30 प्रतिशत से अधिक न हो।

4. सिविल विनियमों का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार हैः

" 7. सेवा में भर्ती नियुक्ति द्वारा की जाएगी।

नीचे बताए गए किसी भी तरीके से प्राधिकरण जो भी हो सकता है

प्रत्येक मामले में निर्धारित किया गयाः

(i) विनियमन 9 में प्रदान की गई प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा ((ii) पदोन्नति द्वारा, जैसा कि विनियम 10 में दिया गया है।

((iii) पहले से ही सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी का स्थानांतरण।

या कोई अन्य राज्य विद्युत बोर्ड या कोई उपक्रम

सरकार।

XX

XX

X

X

निर्देशन आवेदन के लिए गुणवत्ता

9. किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षण पर ए. ई. (सिविल) के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

प्रत्यक्ष नियुक्ति जब तक कि उसने सिविल इंजीनियरिंग में बी. ई. पास नहीं किया हो।

मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से। (द्वारा अधिसूचित समतुल्यता

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज /

पीबीआई। विश्वविद्यालय/Pbi.Univ। कैलेंडर.)

पी. एस. ई. बी. सेवारत अनुभागीय अधिकारी (सिविल) जिनके पास 34 वर्ष हैं

संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड के साथ अनुभागीय अधिकारी (सिविल) के रूप में सेवा इस पद के लिए आवेदन करने के लिए भी पात्र होंगे।

XX

XX

XX एर्जित सिंह सोधी v. अध्यक्ष, पंजाब राज्य निर्वाचन बोर्ड और एक और [हेमंत गुप्ता, जे।]

द्वारा आवेदन के लिए योग्यता

प्रोत्साहन

10.1 (क) बोर्ड के तहत अनुभागीय अधिकारी (सिविल) जिनका रिकॉर्ड औसत से अधिक है और जिनके पास 10 साल से कम का अनुभव नहीं है, वे सहायक अभियंता के रूप में सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि उनकी संख्या सहायक के कैडर पदों की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक न हो।

B.D.M.B./B.C.B वाले पदों को छोड़कर इंजीनियर। और प्रतिनियुक्ति पद या पद जहाँ पी. एस. ई. बी. सीधे अपनी नियुक्ति नहीं कर सकता है।

अधिकारी अर्थात पनबिजली/डिजाइन निदेशालय, चंडीगढ़।

प्रतिशत। 2. XXXX XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

3. सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति

उपरोक्त उप विनियम (1) और (2) सहायक कार्यकारी अभियंता और उससे ऊपर के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि

उनके पास विनियमन-9 में निर्धारित योग्यता है।

4. 9 % सहायक अभियंता (सिविल) के संवर्ग पदों में से

विभागीय कर्मचारियों (तकनीकी अधीनस्थों) के लिए आरक्षित

और ड्राइंग स्टाफ) जिन्होंने बोर्ड की सेवा में रहते हुए A.M.I.E की धारा (ए) और (बी) परीक्षा उत्तीर्ण की है और तीन साल की सेवा पूरी की है। (यह 15 तारीख से लागू होगा। अप्रैल, 1983) "।

5. अपीलार्थियों को रिट याचिका के पैरा 4 में सिविल विनियमों के विनियम 10 के साथ पठित सहायक अभियंता विनियम 7 (ए) (ii) के पद पर पदोन्नत किया गया था जो निम्नानुसार हैः

" 4. कि याचिकाकर्ताओं को विनियमन 7 (ए) (ii) के तहत पदोन्नति के माध्यम से ए. ई. वर्ग II सेवा के रूप में नियुक्त किया गया था, अर्थात जूनियर इंजीनियर ग्रेड I सेवा से पदोन्नति के माध्यम सेः जबकि कृपाल

सिंह मंगत और राज कुमार गर्ग को नियुक्त किया गया है। विनियम 7 (ए) (आई) अर्थात प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से

पी. एस. ई. बी. विनियम 1965 का विनियम 9 ". [2020] 11 एस. सी. आर.

6. श्री कृपाल सिंह मंगत और श्री राज कुमार गर्ग,

सहायक अभियंता (सिविल) की श्रेणी में अपीलार्थियों से कनिष्ठ की नियुक्ति सिविल विनियमों के विनियम 7 (ए) (आई) के तहत उनकी योग्यता के आधार पर ऐसे पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से की गई थी। अपीलार्थियों द्वारा समानता का दावा करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था

समयबद्ध प्रचार पैमाने के संबंध में कृपाल सिंह और राज कुमार गर्ग। इस तरह के प्रतिनिधित्व का निर्णय 06.11.2012 पर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसे निम्नलिखित प्रभाव के लिए कहा गया थाः

" और जबकि, एआर। इंद्रजीत सिंह सोढ़ी, एईई (सेवानिवृत्त) को पदोन्नत किया गया।

एवेन्यू के अनुसार S.O./Civil के पद से AE/सिविल W. E. F. 19.8.77 तक

Reg.7 के संदर्भ में उनकी पदोन्नति को रेग के साथ पढ़ा जाता है। 10 पीएसईबी का इंजीनियरों की सेवा (सिविल) विनियम, 1965 और आगे

एईई (सिविल) डब्ल्यू. ई. एफ. 22.3.85 के रूप में पदोन्नत। जबकि एर। कृपाल सिंह

मंगत और एर। राज कुमार गर्ग दोनों अब एईई के वरिष्ठ कार्यकारी हैं।

इंजीनियर (सिविल) ने एस. ओ./सिविल के रूप में काम करते हुए पद के लिए आवेदन किया

प्रत्यक्ष भर्ती श्रेणी के तहत ए. ई./सिविल और चयनित किए गए थे ए. ई./सिविल के पद के लिए और नया नियुक्ति पत्र दिया गया।

XX

XX

XX

और जबकि, अभिलेख से यह प्रमाण है कि ये दिलचस्प हैं

एर नामक व्यक्ति। इंदरजीत सिंह सोढ़ी, इ. कृपाल सिंह और इ.

राज कुमार गर्ग 3.1.62,12.9.64 पर सेवा में आए। 14.10.64 तारीखें और उन सभी को सीधे जाने का मौका मिला

सहायक अभियंताओं का भर्ती कोटा। बोर्ड ने विज्ञापन दिया सहायक अभियंता/सिविल के पदों को सीधे माध्यम से भरा जाना है

भर्ती जिसमें बोर्ड के मौजूदा कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं और उस प्रतियोगिता में इर। के. एस. मंगत और ई. राज कुमार गर्ग ने

आवेदन भी किया और सहायक अभियंता/सिविल के रूप में चुना गया और थे

प्रभावी तिथियों से नए नियुक्ति पत्र दिए गए और

वे बोर्ड के नियमों के अनुसार काम करना जारी रखते हैं

समय-समय पर।

XX "

XX

XX

7. पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ने दो सेट सर्कुलर जारी किए थे।

समयबद्ध प्रचार पैमाने डब्ल्यू. ई. एफ. 1.1.1986 के अनुदान के लिए बोर्ड। दिनांकित 23.04.1990[2] परिपत्र से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:

2 इसके बाद "प्रथम परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

टी. सिंह सोधी बनाम। अध्यक्ष, पंजाब राज्य संकट बोर्ड और एक और [हेमंत गुप्ता, जे।]

योजना के प्रावधान

प्रचार में पहली बार बाध्य नियुक्ति का लाभ /

ऊपर बताए गए सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित और अधिसूचित पदोन्नति पैमाना, एक कर्मचारी के लिए एक पद पर 9 (नौ) साल की नियमित सेवा के पूरा होने पर उपलब्ध हो जाएगा और दूसरी बार बाध्य पदोन्नति/तैयार पदोन्नति पैमाना उसके बाद उपलब्ध हो जाएगा।

16 (सोलह) वर्ष की सेवा का समापन। यदि किसी कर्मचारी को पहले अगले उच्च पद पर सामान्य पदोन्नति मिलती है

प्रत्यक्ष सेवा की तारीख से 9 साल की सेवा पूरी करना

भर्ती के बाद उसे पहली बार बाध्य नहीं किया जाएगा

प्रचार/परिकल्पित प्रचार पैमाना। वह प्रत्यक्ष भर्ती की तारीख से गिने गए 16 साल की सेवा के पूरा होने के बाद दूसरी बार बाध्य पदोन्नति/तैयार पदोन्नति पैमाना प्राप्त करने के लिए पात्र होगा बशर्ते वह उपरोक्त 16 साल की सेवा के पूरा होने से पहले दूसरी सामान्य पदोन्नति अर्जित न करे। इसके अलावा अपनी सेवा की अवधि के कारण पहले प्रचार/तैयार प्रचार पैमाने में रखे गए कर्मचारी को पहले प्रचार/तैयार प्रचार पैमाने में उसकी नियुक्ति की तारीख से कम से कम तीन साल पूरे होने से पहले दूसरे प्रचार/तैयार प्रचार पैमाने में नहीं रखा जाएगा।

उदाहरण के लिए एक कर्मचारी जिसने एक शामिल करने वाले पद पर 17 साल की सेवा पूरी कर ली है और जिसे 1.1.1986 तक पदोन्नत नहीं किया गया है, उसे 1.1.1986 पर पहली बार समयबद्ध प्रचार/तैयार प्रचार पैमाने की अनुमति दी जाएगी और दूसरी बार समयबद्ध प्रचार/तैयार किए गए प्रचार पैमाने पर स्वीकार्य होगा

1.1.1989 यानी पहली बार बाध्य प्रचार/तैयार प्रचार पैमाने में तीन साल की सेवा पूरी करने के बाद।

सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित नियुक्ति की गई है। संबंधित संवर्ग में।

समयबद्ध पदोन्नति/तैयार किए गए पदोन्नति पैमाने में नियुक्ति के समय, कर्मचारी को पदोन्नति वृद्धि (ओं) की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि पदोन्नति [2020] 11 एस. सी. आर. पर स्वीकार्य है।

पी. एस. ई. बी. (संशोधित वेतन) विनियम, 1988 के विनियम 8 के प्रावधानों के तहत और समय-समय पर संशोधित।

4 .

यदि कोई कर्मचारी पहले से ही बोर्ड की सेवा में है

खुले चयन के माध्यम से एक उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है, फिर समयबद्ध पदोन्नति/तैयार करने के उद्देश्य से उस संवर्ग में पदोन्नति के पैमाने पर सेवा की अवधि की गिनती उपरोक्त में शामिल होने की तारीख से शुरू होगी।

सीधी भर्ती द्वारा पद।

बोर्ड सबसे कम का संकेत देते हुए अनुसूची (ओं) तैयार करेगा।

5 .

इस आदेश के उद्देश्य से विभिन्न संवर्गों के संबंध में सीधी भर्ती के लिए अलग से पद।

मामलों में, एक कर्मचारी पहले से ही लाभ उठा चुका है

6 .

समयबद्ध प्रचार/तैयार किए गए प्रचार पैमाने (ओं) पर नियुक्ति और अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, उसका वेतन अगले चरण में उसी पैमाने पर तय किया जाएगा। यदि उसे किसी ऐसे पद पर पदोन्नत किया जाता है जो पैमाने से कम है

जिसे वह पहले से ही समयबद्ध प्रचार/तैयार किए गए प्रचार पैमाने पर रखा गया है, वह किसी भी वृद्धि का हकदार नहीं होगा और उस पैमाने का वेतन लेना जारी रखेगा जिसमें उसे पहले ही रखा जा चुका है।

उन कर्मचारियों के मामले में जो योग्यता/योग्यता को पूरा नहीं करते हैं

7 .

अगले उच्च पद पर उनकी पदोन्नति के लिए आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उन्हें पैरा 5 (ऊपर) में निर्दिष्ट अनुसूची में बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले समयबद्ध पदोन्नति/तैयार किए गए पदोन्नति पैमाने में भी रखा जाएगा।

8 .

किसी भी वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा वेतन की कोई विसंगति का दावा नहीं किया जाएगा। अर्थात्-क-अर्थात् कोई अन्य कर्मचारी केवल समयबद्ध पदोन्नति/योजना में अपनी नियुक्ति प्राप्त करने के बल पर।

प्रचार का पैमाना।

समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी /

9 .

9 वर्ष और 16 वर्ष की सेवा के बाद तैयार किए गए पदोन्नति मानक संबंधित कर्मचारियों का पदोन्नति प्राधिकरण होगा।

2. द पंजाब स्टेट एलीसी। बोर्ड ने आगे अनुमति देने का फैसला किया है 23 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को पदोन्नति वृद्धि का लाभ प्रदान किया गयाः

एर्जित सिंह सोधी बनाम। अध्यक्ष, पंजाब राज्य निर्वाचन बोर्ड और एक और [हेमंत गुप्ता, जे।]

उन्हें 9/16 वर्ष अवधि की योजना से लाभ नहीं हुआ है।

((i)

बाध्य प्रचार पैमाना।

उन्होंने अपने करियर में तीन नियमित पदोन्नति अर्जित नहीं की है।

((ख)

उन्हें अपनी नियमित सेवा में तीसरी पदोन्नति नहीं मिली है। 16 वीं और 23 वीं वर्ष की सेवा के बीच।

((iv) उपरोक्त पैरा-2 में उल्लिखित वृद्धि की प्रकृति इस प्रकार है -

अग्रिम प्रचार लाभ को अगले नियमित में अवशोषित किया जाएगा

पदोन्नति "।

8. एक अन्य परिपत्र दिनांकित 24.05.1990³ अभिलेख का हिस्सा है

सुरिंदर कुमार पाठक और आर. के. अरोड़ा द्वारा पसंद की गई दो अपील

एक और। यह नीचे लिखा है:

" कार्यालय आदेश सं। 195 / पीआरसी/फिन-1988 दिनांकित

31.3.1990 , पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड ने आदेश दिया है।

कि एक सहायक अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता रुपये के अगले उच्च पैमाने पर रखा जाए। 3000-5000 और अनुमति दी

न्यूनतम वेतन रु। 3500 / - 10 वें वर्ष में अर्थात पूरा होने पर

9 (नौ) सहायक अभियंता/सहायक के रूप में वर्ष की नियमित सेवा कार्यकारी अभियंता। इसी तरह, उन्हें अगले उच्च स्थान पर रखा जाएगा।

रुपये का पैमाना। 4500-6300 17 वें (सत्रहवें) वर्ष में अर्थात

सहायक के रूप में 16 (सोलह) वर्ष की नियमित सेवा का समापन

इंजीनियर/सहायक कार्यकारी इंजीनियर।

इस प्रकार अगले उच्च पैमाने की अनुमति निम्नानुसार दी जाएगी:

(i) 2200-50-2400-60

एई/एईई

बुनियादी पैमाना

2700-3000-100-4000

125-4250 (के साथ

(ii)। 3000-100-4000-125

ए के साथ अगला उच्च पैमाना

न्यूनतम वेतन रु।

5000-150-5600

3500 / - 10 वें वर्ष में अर्थात

पूरा होने पर

(iii)। 4500-125-5000-150

दूसरा अगला उच्च पैमाना

17 में

5900-200-6300

XEN

बुनियादी पैमाना

3000-100-4000-125

अगला उच्च पैमाना

4500-125-5000-150

इसके बाद इसे "दूसरा परिपत्र" कहा जाता है।

2. उपरोक्त उच्च मानक केवल सीधे भर्ती किए गए सहायक के लिए उपलब्ध होंगे। विनियम 7-ए (आई) के अनुसार इंजीनियर

पी. एस. ई. बी. का विनियम-9, इंजीनियरों की सेवा (विद्युत)

पी. एस. ई. बी. सेवा के विनियम 9 के साथ पठित विनियम-1965/7-ए (i)

इंजीनियर (सिविल) विनियम-1965। सहायक के मामले

विनियमन 7-ए (ii) के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्त इंजीनियरों को सचिव/वित्त कार्यालय आदेश संख्या 197/पी. आर. सी./वित्त-1988 दिनांक 23.4.1990 के माध्यम से प्रसारित दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

ध्यान दें: - विभागीय कर्मचारी (तकनीकी) अधीनस्थ और

ड्राइंग स्टाफ) जो बोर्ड की सेवा में रहते हुए रहे हैं

कोटा के विरुद्ध ए. ई. (इलेक्ट्रिकल)/(सिविल) के पद पर पदोन्नत

विनियमन 7 के तहत उनमें से पदोन्नति के लिए आरक्षित

ए (ii) पी. एस. ई. बी. सर्विस ऑफ इंजीनियर्स (इलेक्ट्रिकल) विनियम-1965 के विनियम-10 (7) के साथ पढ़ा गया/विनियम 7-ए (ii) के साथ पढ़ा गया

पी. एस. ई. बी. इंजीनियरों की सेवा (सिविल) का विनियम 10 (4)

विनियम-1965 को सहायक के रूप में नियुक्त किया गया माना जाएगा। सहायक जैसे इंजीनियर। प्रत्यक्ष माध्यम से नियुक्त इंजीनियर विनियमन 7-ए (आई) के साथ पठित विनियमन-9 के तहत भर्ती

इंजीनियरों की सेवा (विद्युत) /

विनियमन 7-ए (i) सहायक अभियंता/सहायक कार्यकारी अभियंता/कार्यकारी अभियंता/जेन के रूप में नियमित सेवा के वर्षों के बाद अगले उच्च मानकों के अनुदान के उद्देश्य से अभियंता (सिविल) आई. बी. आई. डी. की सेवा के विनियमन-9 के साथ पढ़ा जाता है, जिसकी गणना सहायक अभियंता के पद पर शामिल होने की तारीख से की जानी है।

इंजीनियर नियमित रूप से। इसी तरह इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल में स्नातक

मैकेनिकल इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग योग्यता /

ए. एम. आई. ई. योग्य व्यक्ति जिनके पास बोर्ड की सेवा में शामिल होने से पहले यह योग्यता है और बाद में सहायक के रूप में पदोन्नत हुए हैं।

पदोन्नति के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ इंजीनियरों

इंजीनियरों की सेवा (विद्युत) विनियमों के विनियम 10 (9) के साथ पठित विनियम 7-ए (ii) के प्रावधानों के संदर्भ में

1965 /

इंजीनियरों की सेवा (सिविल) विनियम-1965 के विनियम 10 (6) के साथ पठित विनियम 7-ए (ii) को भी इसी तरह माना जाएगा।

9. इस प्रकार दूसरा परिपत्र समयबद्ध करने के लिए जारी किया गया था

सीधे भर्ती किए गए सहायक इंजीनियरों के लिए वैकल्पिक पैमाना।

हालांकि, इंद्रजीत सिंह सोधी बनाम। अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और एक और [हेमंत गुप्ता, जे।]

प्रथम परिपत्र के अनुसार ही प्रचार का पैमाना। उक्त दूसरा परिपत्र बोर्ड की सिविल और विद्युत शाखा में समान रूप से लागू करने के लिए जारी किया गया था। उक्त परिपत्र के नोट में उल्लेख किया गया है कि परिपत्र सिविल और विद्युत विनियमों के तहत जारी किया गया है। इस उद्देश्य के लिए

बेहतर समझ के लिए, विनियमों को एक वैकल्पिक विनियम के रूप में एक पंक्ति में रखने के लिए प्रारूप में बदलाव किया गया है। 10. समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के लिए इसी तरह का दावा एक पदोन्नत सहायक अभियंता राजिंदर सिंह पटपटिया ने किया था।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के साथ। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा दायर रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 26.08.1999 पर अनुमति दी गई थी और इसके खिलाफ अंतर-न्यायालय अपील को 13.08.2001 पर खारिज कर दिया गया था, जिसे भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया था। राजिंदर सिंह पटपटिया और ए. एन. आर. 4. डिवीजन बेंच के ऐसे आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को भी 15.2.2002 पर खारिज कर दिया गया था।

11. एक अन्य रिट याचिका सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में अपीलार्थियों के कनिष्ठ टी. आर. बंसल द्वारा दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 1.02.2005 पर अनुमति दी थी। उक्त आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा 15.07.2010 पर खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, रिट याचिका सं। 468 टी. एस. बहल और अन्य लोगों द्वारा 2004 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 10.02.2006 पर भी अनुमति दी गई थी।

12. 2003 की रिट याचिका संख्या 19306, कृष्ण कुमार विज बनाम। पंजाब राज्य को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर किया गया था।

समयबद्ध प्रचार पैमाने का दावा करना। रिट याचिकाकर्ता भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में कार्यरत थे। उक्त बोर्ड ने पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 26.6.1992 पर जारी परिपत्र को अपनाया था। रिट याचिका को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 6.12.2004 पर अनुमति दी गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश को बाद में इस न्यायालय द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में दरकिनार कर दिया गया था। कृष्ण कुमार विज और अन्र 3.

13. श्री पटवालिया, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया

कि एक बार अपीलार्थियों को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत कर दिया गया है, अन्य कनिष्ठों के बराबर जिन्हें द्वारा नियुक्त किया गया हो सकता है

4 (2002) 1 हाल के सेवा निर्णय 32 5 (2010) 8 एस. सी. सी. 701 [2020] 11 एस. सी. आर.

प्रत्यक्ष भर्ती के तरीके में, वेतनमान के मामले में कोई भेदभाव नहीं हो सकता है और वे वेतन के मामले में समान व्यवहार के हकदार हैं। यह बताया गया कि अपीलार्थियों को 1961-62 में कनिष्ठ अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था और 14 वर्षों के बाद सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था। सिविल विनियमों के विनियम 7 के संदर्भ में, अपीलार्थियों के पास सीधी भर्ती के लिए योग्यताएँ थीं। इसलिए,

सीधे नियुक्त सहायक अभियंताओं की तुलना में अपीलार्थियों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता था। सीधे भर्ती किए गए सहायक इंजीनियरों को समयबद्ध पदोन्नति का पैमाना दिया गया था, जबकि अपीलकर्ता जो उनसे वरिष्ठ थे, उन्हें ऐसे लाभों से वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि यह उत्तरदाताओं का एक स्पष्ट मनमाना और भेदभावपूर्ण कार्य है जो कानून में अस्थिर था। आगे यह तर्क दिया गया कि टी. आर. बंसल और टी. एस. बहल के मामलों में उच्च न्यायालय का एक सुसंगत दृष्टिकोण था, जिन्हें इसी तरह पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के साथ पदोन्नत सहायक अभियंताओं के रूप में रखा गया था। उनके द्वारा दायर अलग-अलग रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार वे समयबद्ध प्रचार पैमाने डब्ल्यू. ई. एफ. 1.01.1986 के हकदार पाए गए। हालाँकि, अपीलार्थियों के मामले को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कृष्ण कुमार विज मामले में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया, जो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में एक सहायक अभियंता के दावे से संबंधित था, इस प्रकार जिस फैसले पर भरोसा किया गया वह समान तथ्यों पर नहीं था।

14. श्री पटवालिया ने लिखित प्रस्तुतियों में एक और तर्क दिया कि दूसरे परिपत्र के संदर्भ में, पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों को प्रथम परिपत्र के संदर्भ में समयबद्ध प्रचार पैमाने के लिए माना जाता है। प्रथम परिपत्र के खंड 2 (iii) के अनुसार, एक कर्मचारी 23 साल की सेवा पूरी करने पर भी उक्त लाभों का हकदार है।

यदि वह 9/16 वर्ष की योजना से लाभान्वित नहीं होता है तो योजना।

15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील श्री गुलाटी ने तर्क दिया कि समयबद्ध पदोन्नति पैमाना केवल प्रथम परिपत्र के संदर्भ में प्रवर्तक अधिकारी जैसे अपीलार्थियों पर लागू होगा जो यह मानता है कि एक कर्मचारी का अधिकार होगा एक पद पर 9 साल की नियमित सेवा के पूरा होने पर प्रचार पैमाना और 16 साल की सेवा के पूरा होने के बाद दूसरी बार बाध्य प्रचार पैमाना। यदि किसी कर्मचारी को 9 साल की सेवा पूरी करने से पहले अगले उच्च पद पर सामान्य पदोन्नति मिलती है, तो वह पहली बार बाध्य पदोन्नति पैमाने का हकदार नहीं होगा। हालाँकि वह 16 साल की सेवा पूरी करने के बाद दूसरा पदोन्नति पैमाना प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, जिसे सीधी भर्ती की तारीख से गिना जाएगा, बशर्ते कि वह इंद्रजीत सिंह सोधी बनाम।

अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और एक और [हेमंत गुप्ता, जे।]

उपर्युक्त 16 वर्षों की सेवा के पूरा होने से पहले दूसरी सामान्य पदोन्नति अर्जित नहीं करता है। यह भी तर्क दिया गया कि दूसरे परिपत्र को किसी भी स्तर पर किसी भी अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं किया गया था।

16. हम श्री पटवालिया द्वारा उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अपीलार्थियों का दावा 9/16 के लिए पहले परिपत्र पर आधारित था।

हालाँकि अपीलकर्ताओं ने रिट याचिका के पैरा 18 में दूसरे परिपत्र का उल्लेख किया है, लेकिन वर्षों की समयबद्ध पदोन्नति का पैमाना। दूसरा परिपत्र रिट याचिका के साथ भी संलग्न नहीं किया गया था, हालाँकि इसे दो अन्य अपीलार्थी सुरिंदर कुमार पाठक और आर. के. अरोड़ा द्वारा संलग्न किया गया है। दूसरे परिपत्र की वैधता और वैधता को कोई चुनौती नहीं है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने कभी यह दावा नहीं किया है कि एक ही संवर्ग के सदस्य होने के नाते समान वेतन होना चाहिए। का दावा

अपीलकर्ता 9-16 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद केवल कृपाल सिंह मंगत और राज कुमार गर्ग के बराबर समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के लिए थे।

17. हम पाते हैं कि अपीलार्थियों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के 9 या 16 वर्षों के भीतर पदोन्नत किया गया था, इसलिए वे समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के हकदार नहीं हैं। कृपाल सिंह मंगत और राज कुमार गर्ग को सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया था, जबकि अपीलार्थियों को सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया गया है। अतः दूसरा परिपत्र उन पर लागू नहीं होगा। पदोन्नति प्राप्त कर्मचारी केवल प्रथम परिपत्र के संदर्भ में समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के हकदार हैं। इसलिए, अपीलार्थी कृपाल सिंह मंगत और राज कुमार गर्ग के साथ किसी भी समानता का दावा करने के हकदार नहीं हैं।

18. हम पाते हैं कि कुछ अन्य कर्मचारियों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर लाभ दिया गया है। हालाँकि, उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत बाद के निर्णयों के विपरीत है।

कृष्ण कुमार विज में इस न्यायालय का निर्णय। इनमें से कई मामलों में विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी लेकिन इस तरह की बर्खास्तगी इस न्यायालय के लिए एक बाध्यकारी मिसाल नहीं होगी। इस तर्क को कृष्ण कुमार विज में भी उठाया गया था और इसकी जांच की गई थी जिसमें इस न्यायालय ने इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था जिसे कुन्हयमद और अन्य बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया था। केरल राज्य (2000) 6 एससीसी 359। इसलिए, विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करने का कानून के सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृष्ण कुमार विज में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए थेः

" 22. हम विनियमन 9 के साथ पठित 1990 के आदेश के खंड 2 के संबंध में पहले ही उल्लेख कर चुके हैं जो लाभ को केवल सीधे भर्ती किए गए सहायक अभियंताओं/सहायक कार्यकारी अभियंताओं तक ही सीमित करता है, जिसका अर्थ है कि किसी के पास विनियमों के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यता होनी चाहिए, तभी कर्मचारी को लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। इसमें संलग्न नोट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे भी

जिन कर्मचारियों को विनियमन 10 (4) के साथ पठित विनियमन 7 (ए) (ii) के तहत पदोन्नत किया गया था, उन्हें प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया माना जाएगा। यह कानूनी कल्पना सीमित है। यह केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें खंड 4 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पदोन्नत किया गया है। इस प्रकार, वे कर्मचारी जिन्होंने ए. एम. आई. ई. परीक्षा के भाग (ए) और (बी) दोनों उत्तीर्ण किए थे और जिन्हें उस वर्ग के लिए आरक्षित 9 प्रतिशत पदों पर पदोन्नत किया गया था, वे थे

23. 1990 के आदेश में विचार किया गया है कि इसका पालन विनियमन के अनुसार किया जाना है जिसमें प्रावधान है कि केवल ऐसे व्यक्ति जिन्हें विनियमन 10 (4) के साथ पठित विनियमन 7 (ए) (ii) के तहत पदोन्नत लोगों को प्रत्यक्ष भर्ती माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह लागू नहीं होता है

पदोन्नतों के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता की परवाह किए बिना और न ही उन्हें सीधे भर्ती के बराबर माना जा सकता है। उनके इलाज का एक उद्देश्य था, अन्यथा इसका प्रभाव पड़ेगा।

अनुच्छेद 14 में निहित संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करना। और भारत के संविधान के 16, इस आधार पर कि असमान है

समान व्यवहार किया गया है। इस इरादे से, आलोचना और भविष्य में मुकदमेबाजी से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति जिनके पास सीधी भर्ती के लिए योग्यता थी और जिन्हें रिक्त होने वाले पदों के खिलाफ पदोन्नत किया जा सकता था, वे लाभ का दावा करने के हकदार होंगे। चूंकि प्रतिवादी 1 इस श्रेणी में नहीं आता था, जाहिर है, वह उच्च पैमाने का हकदार नहीं था।

24. इस प्रकार, बोर्ड द्वारा प्रतिवादी 1 के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने में कोई अवैधता प्रतीत नहीं होती है। तो, हमारे विचार में राय में, उच्च न्यायालय ने इसे अलग करने और रद्द करने में स्पष्ट रूप से गलती की है।

इंद्रजीत सिंह सोधी बनाम। अध्यक्ष, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और एक और [हेमंत गुप्ता, जे।]

बोर्ड के कर्मचारी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि 1990 का आदेश केवल ठहराव को दूर करने के इरादे से जारी किया गया था, लेकिन इससे किसी भी कर्मचारी को उच्च वेतनमान का हकदार होने का पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगा, भले ही वह उच्च पद धारण करने के लिए पूर्व-आवश्यक योग्यताओं को पूरा न करे। दूसरे शब्दों में, यदि उसके पास आवश्यक योग्यताएँ हैं लेकिन वह उच्चतर प्राप्त करने में असमर्थ है इस तरह के पद की अनुपलब्धता के कारण पद, तभी उसे 23-4 के आदेश के अनुसार ठहराव से पीड़ित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1990. "

19. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के पहले और दूसरे परिपत्रों की इस न्यायालय द्वारा जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि दूसरा परिपत्र केवल सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में लागू होता है। यह लाभ पदोन्नत कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। इस न्यायालय ने पाया कि विनियमन 7 (ए) (आई) के तहत पदोन्नत कर्मचारियों के संबंध में कानूनी कल्पना सीमित है।

विनियम 10 (4)। यह केवल उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्हें विनियम 10 के खंड 4 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पदोन्नत किया गया है जो उन कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित हैं जिन्होंने A.M.I.E परीक्षा के दोनों भाग (ए) और (बी) उत्तीर्ण किए हैं और सीधे भर्ती के उस वर्ग के लिए आरक्षित 9 प्रतिशत पदों के खिलाफ पदोन्नत किए गए थे।

20. श्री कृष्ण कुमार विज ने कथित फैसले में ऐसा नहीं किया

जिनके पास A.M.I.E योग्यता है और इस प्रकार उन्हें विनियमों के विनियम 10.4 के साथ पठित विनियम 7 (ए) (आई) के संदर्भ में कभी नियुक्त नहीं किया गया था। वर्तमान अपीलों में, यह दावा नहीं किया गया है कि किसी भी अपीलार्थी ने A.M.I.E परीक्षा के दोनों भागों में अर्हता प्राप्त की है।

इंजीनियरिंग डिग्री के बराबर। अपीलार्थी जो केवल डिप्लोमा धारक हैं, उन्हें विनियमों के विनियम 10.4 के साथ पठित विनियम 7 (ए) (ii) के तहत पदोन्नत किया गया था। 12 साल की सेवा के बाद उन्हें सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला, जिसका उन्होंने कभी लाभ नहीं उठाया और न ही वे असफल रहे। अपीलार्थी कृपाल सिंह मंगत और राज कुमार गर्ग के साथ समानता का दावा करने के हकदार तभी होते जब वे सीधे भर्ती द्वारा उन कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों के खिलाफ योग्य और पदोन्नत होते। नतीजतन, अपीलार्थी कृपाल सिंह मंगत और राज कुमार गर्ग के बराबर 9/16 वर्ष पूरे होने के बाद समयबद्ध पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. कृपाल सिंह को दिए गए समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के आधार पर भेदभाव और मनमानेपन का अपीलार्थियों का दावा

विनियमन 7 (ए) (आई) के तहत सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त, जैसा कि विनियम 9 के तहत प्रदान किया गया है। इसके विपरीत, अपीलार्थियों को कनिष्ठ अभियंता के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता के अनुसार उनके कार्यकाल में सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस प्रकार, दूसरा परिपत्र जो कृपाल सिंह मंगत और राज पर लागू होगा कुमार गर्ग अपीलार्थियों पर आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि वे इसके बजाय प्रथम परिपत्र के दायरे में आते हैं।

22. प्रथम और द्वितीय परिपत्रों के संदर्भ में, बोर्ड के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपने कार्यकाल के 9 वर्षों के भीतर पदोन्नति अर्जित नहीं की है।

प्रारंभिक भर्ती समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के हकदार हैं। यदि उन्हें प्रारंभिक 9 वर्षों के भीतर पदोन्नत किया गया है, तो उन्हें 3 वर्ष पूरे होने के बाद अगली पदोन्नति नहीं दी जा सकती है।

23. इसलिए, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा था कि

विधि में यह अभिनिर्धारित करना सही है कि कृष्ण कुमार विज में निर्णय को देखते हुए, अपीलार्थी अन्य मामलों में समानता के आधार पर समयबद्ध पदोन्नति पैमाने के हकदार नहीं हैं।

24. यह तर्क कि अपीलार्थी 23 वर्षों के बाद पदोन्नति पैमाने के हकदार हैं, न तो रिट याचिका में या न ही वर्तमान अपीलों में स्थापित किया गया था। इस तरह का तर्क वास्तव में उठाया गया है

लिखित प्रस्तुतियों में पहली बार। हम पाते हैं कि इस स्तर पर इस तरह के तथ्यात्मक तर्क को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 25. उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जो इसके किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी दे सकता है।

अदालत। इस प्रकार सभी अपीलें तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं।

या

चिकाएं खारिज

दिव्या पांडे